संख्या- 10/2016/884 /33-3-2016-100(26)/2015

प्रेषक,

एस.पी.सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च,2016

विषय- चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की प्रथम किस्त के आवंटन में हुए विलम्ब के कारण देय ब्याज की धनराशि अवमुक्त किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1/2053/2016-1/229/2015, दिनांक 29 मार्च, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 14 में 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए बुनियादी अनुदान की धनराशि की प्रथम किस्त रू0 1931.30 करोड धनराशि को पन्द्रह दिन के अन्दर निर्गत न करनें के कारण ब्याज की धनराशि दी जानी है। संलग्न बी.एम.9 प्रपत्र संख्या-आर.ई.- 775/ई-2-338/दस-2016 दिनांक 30.03.2016 में वर्णित स्थिति के अनुसार धनराशि रू0 1.6403 करोड (एक करोड चौंसठ लाख तीन हजार मात्र) का पुर्नविनियोग करते हुए उक्त धनराशि रू0 1.6403 करोड (एक करोड चौंसठ लाख तीन हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन संलगन जनपदवार फाण्ट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जानें की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रायोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

http://shasanadesh.up.nic.

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 934/ दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक , पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2015-16 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-338/ दस-2016, दिनांक 30.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(एस.पी.सिह)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।
6- संबंधित बैंकों को।
7- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।
10- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015-16 में सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने में हुए बिलम्बके लिए ब्याज की धनराशि का फाट

¼धनराशि रूपये में½

क्र0सं0	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	220784
2	बागपत	166326
3	गाजियाबाद	197820
4	गौतमबुधनगर	163374
5	बुलन्दशहर	269009
6	सहारनपुर	258839
7	मुजफ्फरनगर	233415
8	आगरा	265565
9	अलीगढ़	252442
10	महामायानगर	172560
11	एटा	170591
12	कासगंज	149595
13	मैनपुरी	180761
14	मथुरा	208974
15	फिरोजाबाद	199789
16	बरेली	270485
17	बदायू	238992

http://shasanadesh.up.

18	पीलीभीत	195360
19	शाहजहापुर	231282
20	मुरादाबाद	184698
21	अमरोहा	168295
22	रामपुर	183222
23	बिजनौर	295090
24	लखनऊ	234727
25	रायबरेली	211271
26	अमेठी	227510
27	हरदोई	334293
28	उन्नाव	259331
29	सीतापुर	372348
30	खीरी	337246
31	फैजाबाद	220456
32	अम्बेडकरनगर	211271
33	सुल्तानपुर	224557
34	बाराबंकी	285248
35	गोण्डा	273930
36	बलरामपुर	180597
37	बहराइच	255887
38	श्रावस्ती	116297
39	इलाहाबाद	390063
40	कौशाम्बी	177316
41	फतेहपुर	229150

http://shasanadesh.up.nic.

42	प्रतापगढ़	265072
43	वाराणसी	216848
44	चन्दौली	177973
45	गाजीपुर	286232
46	जौनपुर	359226
47	मिर्जापुर	231118
48	सोनभद्र	230298
49	सन्तरविदासनगर	156157
50	हमीरपुर	134341
51	बांदा	171411
52	चित्रकूट	144510
53	महोबा	128107
54	गोरखपुर	309197
55	महाराजगंज	221112
56	देवरिया	243421
57	कुशीनगर	277047
58	बस्ती	212747
59	संतकबीरनगर	164194
60	सिद्धार्थ नगर	207498
61	आजमगढ़	362342
62	मऊ	181417
63	बलिया	252606
64	कानपुर नगर	172724
65	कानपुर देहात	205530

http://shasanadesh.up.nic.

66	फर्रूखाबाद	171083
67	कन्नौज	164522
68	इटावा	163538
69	औरैया	159273
70	झांसी	171247
71	ललितपुर	155336
72	जालौन	153532
73	शामली	147299
74	सम्भल	184370
75	हापुड़	202906
	योग-	16403000

(रू0 एक करोड चौसठ लाख तीन हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.